वित्तीय स्वीकृति
संख्या : /XVII-2/2016-10(11)/2016

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक: 18 अप्रैल, 2017

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखानुदान में उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अधिष्ठान हेतु प्राविधानित धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-312/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 (01 अप्रैल से 31 जुलाई, 2017) के लेखानुदान में उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अधिष्ठान हेतु अनुदान संख्या-15 में **₹ 28.32 लाख (रूपये अठ्ठाईस लाख बत्तीस हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-312/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो। धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक में पार्किंग हेतु निर्गत नहीं की जायेगी।
3. उल्लेखनीय है कि बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल

स्याही से अनुदान संख्या–15 शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

5. शासन द्वारा निर्गत धनराशि के उपयोग में मितव्ययता की नितान्त आवश्यकता है। अतः धनराशि उपयोग/व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में वेतनादि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिये तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तद्नुसार बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6. वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर ले कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

7. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व यथावश्यकता सक्षम स्तर की सहमति प्राप्त की जाए।

8. अवमुक्त धनराशि आहरण–वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रत्येक माह आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम–17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. व्यय करने के पूर्व जिस मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

12. वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में बजट प्राविधान से अधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय। बी0एम0–8 (पुराना बी0एम0–13) पर नियमित रूप से शासन को प्रतिमाह विलम्बतम 20 तारीख तक पूर्व माह तक की व्यय बचत सूचना उपलब्ध कराया जाय।

13. नियंत्रणाधीन विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक त्रैमास में महालेखाकार से कराया जाना सुनिश्चित करेंगें ।

14. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जाय

15. इस सम्बन्ध में होने वाली व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखानुदान में अनुदान संख्या–15 लेखाशीर्षक 2225–03–01–04 की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।

16. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 के क्रम में एवं बजट आवंटन अनुदान संख्या–15 के अलॉटमेन्ट आई0डी0 संख्या–S1704150267 दिनांक 17 अप्रैल, 2017 के द्वारा जारी किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:-220/XVII–2/2017–10(11)/2016 तद्दिनांकित :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Social Welfare (S045)

पत्र संख्या -290 /XVII-2/17-10(11)/2016

अलोटमेंट आई डी - S1704150267

संख्या - 015

आवंटन पत्र दिनांक -17-Apr-2017

HOD Name - Director Social Welfare (4708)

शीर्षक 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य 03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण

001 - निदेशन तथा प्रशासन

04 - उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन

00 - उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन

Voted

भावना मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	2037000	2037000
03 - महंगाई भत्ता	0	122000	122000
06 - अन्य भत्ते	0	95000	95000
08 - कार्यालय व्यय	0	40000	40000
09 - विद्युत देय	0	5000	5000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	0	433000	433000
17 - किराया, उपस्कर और कर-स्व	0	100000	100000
	0	2832000	2832000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 2832000